फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर (राज.)

भंवर सिंह खरवड़	बनाम	तहसीलदार, गोगुन्दा

किस्म मुकदमा निगरानी / अपील / मुकदमा नं. 223 / 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/09/25	वकील उभय पक्ष उपस्थित। उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 17/09/25 को पेश हो।	
17/9/2025.	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्तता हेतु निर्णय नहीं लिखवाया जा सका। वास्ते आदेश दिनांक 29/09/2025 को पेश हो।	
29/09/2025.	पत्रावली प्रस्तुत हुई। उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम खरवड़ों का गुडा, पटवार मण्डल पानेर की आराजी न. 1907 रकबा 0.4300 है. किस्म बिलानाम गैर काबिल काश्त मगरी को ग्राम पंचायत के मौतबिरान, पटवारी हल्का पानेर, विधायक, विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा, तहसीलदार	

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	व उपखण्ड अधिकारी, गोगुन्दा की अनुशंसा पर जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा दिनांक 02/12/2015 को राजकीय प्रयोजनार्थ भवन हेतु आरक्षण को 5 वर्ष से अधिक अवधि पश्चात आक्षेपित किया गया है। उपरोक्त क्रम में अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा अपील पत्रक में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपीलाधीन भूमि पर अपना क्लेम बताते हुए स्पष्ट किया कि अपीलाधीन आराजी 1907 रकबा 0.4350 एयर व आ.नं. 2111 रकबा 0.1300 एयर कुल किता-2 रकबा 0.5650 एयर भूमि अपीलार्थी को उपजिला कलक्टर, गिर्वा द्वारा आवंटित की गई थी, जिसपर राजनैतिक दबाव के चलते जिला कलक्टर, उदयपुर के समक्ष कुछ लोगों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही पश्चात नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन नियम, 1970 के तहत जिला कलक्टर उदयपुर द्वारा दिनांक 27/11/2006 को निर्णय पारित कर आवंटन प्रक्रिया को सही मानते हुए आवंटन को दि. 27/11/2006 को बहाल रखा गया। उजरदारों द्वारा इसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर के यहाँ करने पर आवंटी की उम्र 18 वर्ष पूर्ण नहीं होना दर्शाते हुए दिनांक 19/11/2007 को अपील स्वीकार कर आवंटन निरस्त किया गया। अपीलान्ट द्वारा राजस्व मण्डल, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत अपील संख्या 2736/2013 भी दि. 12/7/2013 को निरस्त कर दी गई। किन्तु अपीलान्ट का कब्जा भूमि पर होने से प्रस्तुत आराजी पर अपना क्लेम बताते हुए जिला कलक्टर के आदेश	

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर (राज.)

भंवर । रुई खरवड़	बनाम	तहसीलदार, गोगुन्दा

किस्म मुकदमा निगरानी / अपील / मुकदमा नं. 223 / 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दिनांक 02/12/2015 को आक्षेपित करते हुए अपील प्रस्तुत की गई एवं अनुतोष चाहा गया। उपरोक्त संदर्भ में पैरोकार सरकार द्वारा इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया गया कि अपीलार्थी की स्वयं की स्वीकारोक्ति अनुसार उनके द्वारा आक्षेपित भूमि पर उनका आवेदन अपीलीय न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल से निरस्त किया जा चुका है, अत: बिलानाम राजकीय भूमि के राजकीय प्रयोजनार्थ भूमि आरक्षण को उचित ठहराते हुए अपील निरस्त किए जाने का अनुरोध किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, अपीलार्थी के लिखित कथन तथा पैरोकार सरकार के तर्क पर मनन किया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के मौतबिरान, संबंधित विधायक, तहसीलदार व उपखण्ड अधिकारी की, क्षेत्र की आवश्यकता के मद्देनजर, अनुशंषा पर ग्राम खरवड़ों का गुडा की बिलानाम आराजी नम्बर 1907 रकबा 0.4300 हेक्टेयर भूमि को जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा दिनांक 02/12/2015 को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-92 के प्रावधानों के अन्तर्गत राजकीय प्रयोजनार्थ भवनों हेतु आरक्षित घोषित किया गया।	

(initials)

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	
	उपरोक्त ~~[illegible]~~ परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी का प्रसंगत भूमि पर कोई वैधानिक अधिकार नहीं होने से वृहद जनहित में जन सुविधा हेतु आरक्षित भूमि हेतु किए गए अपीलाधीन आदेश दिनांक 02/12/2025 में हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं तथा 5 वर्ष से अधिक विलम्ब से प्रस्तुत अपील को गुणावगुण पर पोषणीय नहीं पाए जाने से इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं। उक्त विवेचन के आधार पर अपील निरस्त की जाती है। निर्णय आज दिनांक 29/09/2025 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] 29/9/2025. संभागीय आयुक्त उदयपुर (राज.)		